जन्म और मृत्यु पंजीकरण (RBD) अधिनियिम, 1969

प्रलिम्सि के लयि:

राष्ट्रीय जनसंख्या पंजीकरण, भारत के रजसि्ट्रार जनरल

मेन्स के लयि:

जनसंख्या और संबद्ध मुद्दे, सरकारी नीतयिाँ और हस्तक्षेप

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने **जन्म और मृत्यु पंजीकरण (RBD) अधनियिम, 1969** में संशोधन का प्रस्ताव दयिा था।

- इस वधियक को संसद के शीतकालीन सत्र में पेश कयिा जाएगा।

प्रस्तावति संशोधन:

- इसमें जीवन के लगभग हर क्षेत्र जैसे कि शैक्षणकि संस्थानों में प्रवेश, मतदाता सूची में नाम, केंद्र और राज्य सरकार की नौकरयिों में नयिुक्ति, ड्राइवगि लाइसेंस तथा पासपोर्ट जारी करने इत्यादि के लयि **जन्म प्रमाण पत्र को अनवािर्य दस्तावेज़** बनाने का प्रस्ताव कयिा गया है।
- **अस्पतालों और चकित्सिा संस्थानों के लयि** यह अनवािर्य होगा कि वे मृत्यु का कारण बताते हुए मृत्यु के प्रमाण पत्रों की एक प्रतिमृतक के रशि्तेदार के अलावा स्थानीय रजसि्ट्रार को भी प्रदान करें।
  - **नागरकि पंजीकरण प्रणाली (CRS)** की रपिोर्ट के अनुसार, देश के लयि जन्म का पंजीकरण स्तर 2010 में 82.0% से बढ़कर 2019 में 92.7% हो गया और मृत्यु संबंधी पंजीकरण स्तर 2010 में 66.9% से बढ़कर 2019 में 92.0% हो गया।
  - CRS, RGI के परचािलन नयिंत्रण के तहत **जन्म और मृत्यु के पंजीकरण के लयि एक ऑनलाइन प्रणाली है।**

संशोधनों की आवश्यकता:

- प्रस्तावति संशोधन, "राष्ट्रीय स्तर पर पंजीकृत जन्म और मृत्यु का डेटाबेस बनाए रखने" में सक्षम करेगा।
- राष्ट्रीय स्तर पर जन्म और मृत्यु डेटाबेस जो कि RGI के पास उपलब्ध होगा, का उपयोग**जनसंख्या रजसि्टर, चुनावी रजसि्टर और आधार, राशन कार्ड, पासपोर्ट एवं ड्राइवगि लाइसेंस डेटाबेस** को अपडेट करने के लयि कयिा जा सकता है।
- यदि संशोधनों को लागू कयिा जाता है, तो केंद्र [राष्ट्रीय जनसंख्या रजसि्टर](#) **(National Population Register- NPR)** को अद्यतन करने के लयि डेटा का उपयोग कर सकता है जसिे पहली बार वर्ष 2010 में तैयार कयिा गया था और वर्ष 2015 में डोर-टू-डोर गणना के माध्यम से संशोधति कयिा गया था।
  - NPR में पहले से ही 119 करोड़ नविासयिों का डेटाबेस है और नागरकिता संशोधन अधनियिम, 2003 के तहत, यह[राष्ट्रीय नागरकि रजसि्टर](#) **(National Register of Citizens- NRC)** के नरि्माण की दशा में पहला कदम है।

जन्म और मृत्यु पंजीकरण (Registration of Birth and Death- RBD) अधनियिम, 1969:

- भारत में जन्म और मृत्यु का पंजीकरण कराना **जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधनियिम (RBD), 1969 के अधनियिमन के साथ अनवािर्य है** और इस प्रकार का पंजीकरण घटना के स्थान के अनुसार कयिा जाता है।
- **RBD** अधनियिम के तहत **जन्म और मृत्यु का पंजीकरण करना राज्यों की ज़मि्मेदारी है।**
- राज्य सरकारों ने **जन्म और मृत्यु के पंजीकरण तथा उनका रकिॉर्ड सुरक्षति रखने के लयि सुवधाि तंत्र स्थापति कयिा है।**
- प्रत्येक राज्य में नयिुक्त एक मुख्य रजसि्ट्रार इस अधनियिम के कार्यान्वयन हेतु कार्यकारी प्राधकिारी होता है।
- अधकिारयिों का एक पदानुक्रम ज़लिा और उससे नचिले स्तर पर यह काम करता है।
- इस अधनियिम के तहत नयिुक्त महापंजीयक, RBD अधनियिम के कार्यान्वयन के समन्वय और एकीकरण के लयि ज़मि्मेदार होता है।

स्रोत: द हिंदू

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/registration-of-birth-and-death-act-1969